न्यायालय सहायकल कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड RAS

प्रार्थना पत्र संख्या :– 34 / 2019 दायर तारीख :– 12.07.2019

1. बदामीदेवी पत्नि गोपाल चौधरी जाति जाट नि0 हिंगोनिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. श्रवणीदेवी पत्नि हुक्मसिंह
2. हुक्मसिंह पुत्र गोपाल
3. ताराचन्द पुत्र गोपाल

समस्त जाति जाट नि0 हिंगोनिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 रा0टी0ऐ0

उपस्थित :– श्री लोकेश शर्मा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री प्रभूदयाल वर्मा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक 21/8/19

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 693 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 766 / 693 रकबा 10 विस्वा किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 11 विस्वा वाकै ग्राम डूंगरी प0ह0 जोरपुरा सुन्दरियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज है व आराजी का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी की आराजी के लगते हुये ही अप्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 767 / 693, 770 / 693, [illegible] / 693, 785 / 693 स्थित है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्व में एक ही नम्बर थे परन्तु उक्त खसरा नम्बरान का विभाजन होने से भिन्न भिन्न खं0नं0 अंकित किये जाकर उनके नाम खातेदारी दर्ज की गई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी के खं0नं0 अलग अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजीयात का विभाजन होने के पश्चात् मौके पर सही रूप से सीमाकंन नहीं हो रखा है तथा विधि अनुसार पुख्ता पत्थरगढ़ी अथवा सीमा मौके पर कायम नहीं है। मौके पर पत्थरगढी व पुख्ता सीमा कायम नहीं होने से तथा मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी का एक ही चक बना हुआ है अप्रार्थीगण अपनी आराजी का विधि अनुसार सीमाकंन किये बिना व पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये बिना अपनी आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान, रहन, हस्तान्तरण आदि करने पर आमादा है तथा दीगर व्यक्तियों को जबरन कब्जा करवाने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजीयात बिना सीमाकन व पत्थरगढ़ी करवाये दीगर व्यक्तियों को बेचान, रहन हस्तान्तरण कर दिया गया तो प्रार्थी को इस प्रकार की असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से किया जाना संम्भव नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.07.2019 को कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ विवादित आराजीयात पर आये तथा प्रार्थी के हिस्सें की आराजीयात को अपनी बताते हुये बेचान रहन, हस्तान्तरण किये जाने का वार्तालाप करने लगे जिस पर प्रार्थी ने उनको ऐसा करने से मना किया तथा वादग्रस्त आराजीयात पर पुख्ता सीमाकंन व सीमाचिन्ह कायम करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण इंकार हो गये तथा वादग्रस्त आराजीयात को बिना सीमाकंन व पत्थरगढ़ी करवाये बिना ही बेचान रहन हस्तान्तरण करने की धमकी दी इसलिए यह प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री प्रभूदयाल वर्मा ने वकालतनामा व जवाब प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया तथा अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने में हम अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है।

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

3. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75, नकल नक्शा ट्रेस की प्रतियां पेश की है।

4. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। उक्त आराजी औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन से नामान्तकरण स्वीकार हुआ है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रा0पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 21/8/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सांभरलेक

सहायक कलक्टर
सांभर लेक